छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर

जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़, फोन – 0771–2512580

क्र. 1065 /छ.ग.सं/प्रकाशन/2024 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 14/08/2024

छत्तीसगढ़ में स्थापित सभी प्रकार के एल.ई.डी. स्क्रीन–वॉल, एल.ई.डी. एन्ड्रायड स्क्रालर डिस्प्ले बोर्ड एवं डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड–डिजिटल टीवी के माध्यम से प्रचार–प्रसार हेतु दर निर्धारण एवं योग्य फर्मों का इम्पैनलमेंट हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रण सूचना

छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा छत्तीसगढ़ में स्थापित सभी प्रकार के एल.ई.डी. स्क्रीन–वॉल, एल.ई.डी. एन्ड्रायड स्क्रालर डिस्प्ले बोर्ड एवं डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड–डिजिटल टीवी के माध्यम से राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु दर निर्धारण एवं योग्य फर्मों का इम्पैनलमेंट हेतु निर्धारित प्रारूप में समस्त वांछित दस्तावेजों सहित पूर्ण भरे हुए निविदा ऑनलाईन माध्यम से आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रारूप एवं नियम शर्तों का अवलोकन छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाईट **http://samvad.cg.nic.in** पर किया जा सकता है। प्रारूप एवं नियम शर्तों में संशोधन होने पर संशोधन की सूचना उक्त वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी, पृथक से समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशन नहीं की जाएगी। निविदा प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि निम्नानुसार है :–

प्री–बिड मीटिंग – 04.09.2024 समय अपरान्ह 3:30 बजे से (छत्तीसगढ़ संवाद भवन के प्रथम तल में स्थित बैठक कक्ष में आयोजित होगी)

क्र.	निविदा	निविदा प्रपत्र शुल्क, GST सहित (वापसी योग्य नहीं)	अमानत राशि (बिना ब्याज के वापसी योग्य)	निविदा में भाग लेने हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि (दोपहर 2:00 बजे तक)	निविदा प्रपत्र ऑनलाईन जमा करने की अंतिम तिथि (दोपहर 3:00 बजे तक)	निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि (सायं 4:00बजे)
1	एल.ई.डी. स्क्रीन वॉल	1,180/–	1,00,000/–	23.09.2024	23.09.2024	23.09.2024
2	एल.ई.डी. एन्ड्रायड स्क्रालर डिस्प्ले बोर्ड	1,180/–	1,00,000/–	23.09.2024	23.09.2024	23.09.2024
3	डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड– डिजिटल टीवी	1,180/–	1,00,000/–	23.09.2024	23.09.2024	23.09.2024

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
रायपुर, छत्तीसगढ़

डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड–डिजिटल टीवी के माध्यम से प्रचार–प्रसार हेतु दर निर्धारण एवं योग्य फर्मों का इम्पैनलमेंट के लिए
नियम एवं शर्तें

1. छत्तीसगढ़ संवाद राज्य शासन द्वारा फर्म एवं सोसायटी अधिनियम 1973 के अंतर्गत गठित एक पंजीकृत सोसायटी है। छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा शासन के विभिन्न विभागों, निगम–मण्डलों एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं की जनकल्याणकारी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं एवं अन्य जानकारियों, उपलब्धियों के प्रचार–प्रसार विभिन्न माध्यमों से किया जाता है।
2. **निविदाकर्ता फर्म को तकनीकी बिड में निम्नलिखित दस्तावेज ऑनलाईन जमा किया जाना होगाः–**

2.1 पेन कार्ड की प्रति।

2.2 Assessment Year 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 का आयकर रिटर्न की प्रति।

2.3 वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 तीनों वर्षों का औसतन टर्नओवर कम से कम रू. 5 लाख होने का चार्टेड एकाउंटेन्ट द्वारा सत्यापित UDIN अंकित टर्नओव्हर प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा

2.4 निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 1,180/– जीएसटी सहित (वापसी योग्य नहीं) एवं अमानत राशि रू. 1,00,000/– (बिना ब्याज के वापसी योग्य) छत्तीसगढ़ संवाद के बैक खाता में ऑनलाईन/ आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से जमा करना होगा एवं पावती/साक्ष्य की प्रति टेक्निकल बिड के साथ जमा करना होगा।

छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता का विवरण निम्नानुसार है :–

Account Name	**:**	**Chhattisgarh Samvad**
Bank Name	**:**	**Central Bank of India**
Branch Name	**:**	**Civil Line, Raipur (C.G.)**
Saving Account No.	**:**	**1279040867**
IFSC Code No.	**:**	**CBIN0282321**

2.5 शासकीय संस्थान एयरपोर्ट से विज्ञापन प्रदर्शन हेतु एजेन्सियों के साथ अनुबंधित अनुबंध की प्रति/विज्ञापन/प्रदर्शन के अधिकार पत्र ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा।

2.7 फर्म के पास स्वयं के स्वामित्व की डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड–डिजिटल टीवी का इन्वाईस ऑनलाईन अपलोड करना होगा। किसी प्रकार का ज्वाइंटवेंचर/कंसोरटीयम मान्य नहीं होगा।

3. निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार फर्म को राशि रू. 100/– के स्टाम्प पर छत्तीसगढ़ संवाद नवा रायपुर के साथ निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित कर नोटरी से सत्यापित कराना होगा।
4. डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड में विज्ञापन प्रसारण हेतु शासकीय/अर्द्धशासकीय/संबंधित संस्थान वैध अनुमति फर्म को प्राप्त करनी होगी। अनुमति प्राप्त करने का दायित्व संबंधित डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड–डिजिटल टीवी वाले फर्म का रहेगा।
5. निविदाकार को छत्तीसगढ़ शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा समस्त प्रचलित एवं समय समय पर जारी नियमों, निर्देशों, आदेशों और अधिनियमों का पूर्ण पालन करना होगा।
6. टेक्निकल बिड में योग्य पाए गए फर्मों का फाईनेन्शियल बिड खोला जाएगा एवं प्राप्त न्यूनतम दर पर इम्पैनलमेंट हेतु टेक्निकल बिड में योग्य पाए गए सहमत फर्मों को दो वर्ष के लिए इम्पैनल्ड किया जाएगा। कार्य संतोषजनक होने पर एल–1 दर पर दो वर्ष समाप्ति के पश्चात पुनः अधिकतम एक वर्ष अवधि में वृद्धि करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा समिति को दरों में

निगोसियेशन का पूर्ण अधिकार होगा। निविदा समिति द्वारा निविदा दर/D.A.V.P. में उपलब्ध दर/ अन्य शासकीय संस्था में प्रचलित दर /अन्य दर अनुसार निगोसियेशन कर दर निर्धारण किया जायेगा।

7. वित्तीय प्रस्ताव में उल्लेखित अवधि के अलावा अन्य अवधि हेतु कार्य की आवश्यकता होने पर न्यूनतम अनुपातिक दर पर कार्य कराने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।

8. डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड–डिजिटल टीवी के माध्यम से प्रचार–प्रसार हेतु धन–जन–थर्ड पार्टी के सुरक्षा का दायित्व संबंधित डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड–डिजिटल टीवी एजेंसी/फर्म का होगा। अतः इस संबंध में संबंधित फर्म को पर्याप्त सुरक्षा एवं व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा। छत्तीसगढ़ संवाद का इस संबंध में किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं होगा।

9. इम्पैनल्ड फर्मों को समय–समय पर संबंधित विभागों से प्राप्त कार्यादेश अनुसार कार्य आबंटन का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।

10. छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा उपलब्ध कराये गये निगरानी ऐप में डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड–डिजिटल टी.वी. में प्रदर्शित हो रहे विडियो का फोटो अपलोड करना होगा। फोटो 02 बार (प्रारंभ एवं अंतिम दिवस) उपलब्ध कराना होगा एवं तदानुसार देयक स्वीकीर्य होगा।

11. समय–समय पर कार्यालयीन निर्देश पर सीधा प्रसारण किया जाना होगा।

12. निविदा की किसी भी शर्तों, नियम कंडिका को शिथिल करने अथवा संपूर्ण निविदा को किसी भी समय निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद को होगा।

13. **निर्धारित प्रारुप में 50 रुपये का स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित यह प्रमाण–पत्र दिया जाना होगा कि संबंधित संस्था/व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्र एवं अन्य अभिलेख पूर्णतः सही है, भविष्य में कोई प्रमाण–पत्र गलत पाए जाने पर उसे छत्तीसगढ़ संवाद की सूचीबद्धता से अगले एक वर्ष तक के लिए अपात्र घोषित कर दिया जायेगा। इस प्रमाण–पत्र में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाना होगा कि संस्था किसी भी शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्थाओं में ब्लेक लिस्टेड नहीं हैं। शपथ–पत्र की मूल प्रति (हार्ड कापी) एवं डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड–डिजिटल टीवी का चालू हालत में स्पष्ट दिखता हुआ वीडियो की CD/DVD/Pendrive निविदा जमा करने के नियत तिथि एवं समय के पूर्व अपरान्ह् 3:00 बजे तक छत्तीसगढ़ संवाद, सेक्टर–19 नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर भवन के द्वितीय तल, कक्ष क्रमांक SF-10 में जमा किया जा सकता है।**

14. पैनल में सूचीबद्ध फर्म द्वारा L1 दर में कार्य करने में किसी भी प्रकार की असमर्थता यथा समय सीमा, तकनीकी समस्या या अन्य कोई कारण जाहिर करता है एवं कार्य नहीं करने की स्थिति में फर्म को आगामी तीन माह तक कोई कार्य/कार्यादेश नहीं दिया जायेगा | उक्त कार्यावधि के पश्चात् दोबारा उक्त स्थिति निर्मित होने पर संबंधित फर्म को 1 वर्ष के लिए काली सूची में डाला जाएगा एवं अमानत राशि राजसात किया जाएगा।

15. फर्म के पास एक यूनिट/श्रृखंला में एक साथ न्यूनतम 05 नग डिजिटल टी.वी./एल.ई.डी.टी.वी./स्मार्ट एल.ई.डी. टी.वी. होना अनिवार्य हैं ।

16. **बिन्दु क्र 13 में उल्लेखित CD/DVD/Pendrive एवं नोटरी से सत्यापित प्रमाण पत्र की मूल प्रति के अतिरिक्त कोई भी दस्तावेज ऑफलाईन स्वीकार्य नही होगा एवं वांछित दस्तावेज ऑनलाईन जमा नही होने की स्थिति में टेक्नीकल बिड अमान्य किया जायेगा।**

17. तकनीकी बिड खोलने के पश्चात् निविदाकार द्वारा निविदा पंजीकृत करने की स्थिति में अथवा निविदाकार द्वारा जमा कोई दस्तावेज/जानकारी गलत या जाली साबित होती है तो निविदाकार द्वारा जमा अमानत राशि जब्त किया जाएगा।

18. इम्पैनल्ड फर्मों के त्रुटि, लापरवाही या अन्य किसी कारण से छत्तीसगढ़ संवाद/जनसंपर्क संचालनालय/शासन के किसी प्रकार की क्षति अथवा प्रतिष्ठा धूमिल होने पर संबंधित फर्म को एक वर्ष के लिए ब्लेक लिस्टेड किया जा सकेगा एवं पेनाल्टी के रूप में निश्चित राशि देयक का अधिकतम 2.5 प्रतिशत तक कटौती का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद को होगा। पेनाल्टी राशि का समायोजन फर्म द्वारा जमा अमानत राशि से किया जा सकेगा।

19. **<u>आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता) :</u>** किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेटर– प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जायेगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। आर्बिट्रेशन की कार्यवाही आर्बिट्रेशन एवं काउंसिलेशन एक्ट, 1996 के अधीन संपादित होगा।

20. निविदा प्रस्तुत करने का आशय यह होगा कि निविदाकार द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं का अवलोकन किया गया है एवं उक्त सभी बिन्दु निविदाकार फर्म को मान्य है।

21. किसी प्रकार की विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
नवा रायपुर अटल नगर

(रू. 50/– के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ–पत्र निविदा के टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करना होगा)

शपथ–पत्र

मैं—————————संस्था प्रमुख निवासी ————————————छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा जारी निविदा प्रारूप, निर्धारित नियम एवं शर्त का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात ही उपरोक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। हमारे फर्म द्वारा वैधानिक देय राशियों का शासन की संबंधित खातों में जमा किया गया है, कोई देय राशि बकाया नहीं है। उपरोक्त आवेदन में अंकित कोई भी जानकारी अपर्याप्त/अधूरी या फिर गलत पाई जाती है तो इसे अस्वीकार/निरस्त करने का तथा हमारी संस्था को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद को होगा। इस बारे में मेरे या संस्था के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अपील या आपत्ति किसी क्षेत्र में नहीं की जायेगी। मुझे छग संवाद की उपरोक्त से संबंधित सभी नियम एवं शर्ते स्वीकार है।

यह कि हमारी संस्था ———————————— किसी शासकीय और अर्द्ध शासकीय विभाग/निगम/मंडल इत्यादि द्वारा ब्लैक लिस्टेट (काली सूची) नहीं की गई है।

स्थान ——————

दिनांक —————

हस्ताक्षर

(पूरा नाम)

संस्था का नाम व मोहर

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़

<u>डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड–डिजिटल टीवी के माध्यम से प्रचार–प्रसार हेतु वित्तीय प्रस्ताव</u>

<u>एयरपोर्ट हेतु</u>

क्र.	विवरण	प्रसारण अवधि	श्रृंखला में स्थापित टी.वी संख्या	दर (जीएसटी अतिरिक्त)			
				रायपुर एयरपोर्ट	बिलासपुर एयरपोर्ट	जगदलपुर एयरपोर्ट	छ.ग. प्रदेश के अन्य एयरपोर्ट हेतु
1.	**डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड –डिजिटल टीवी/एल.ई.डी.टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी.टीवी स्पॉट प्रसारण–** न्यूनतम 10 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट के बाद में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। **सांउड के साथ साईज–32 –42 इंच तक**	1माह से कम अवधि हेतु प्रति 10 सेंकड का दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
		1–3 माह हेतु प्रति 10 सेंकड का दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
		3 माह से अधिक हेतु प्रति 10 सेंकड का दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
2	**डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड –डिजिटल टीवी/एल.ई.डी.टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी.टीवी स्पॉट प्रसारण–** न्यूनतम 10 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट के बाद में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। **सांउड के साथ**	1माह से कम अवधि हेतु प्रति 10 सेंकड का दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
		1–3 माह हेतु प्रति 10 सेंकड का दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
		3 माह से अधिक	5–15 तक				

	साईज–43–55 इंच तक	हेतु प्रति 10 सेंकड का दर	16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
3	**डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड –डिजिटल टीवी/एल.ई.डी .टीवी/स्मार्ट एल.ई .डी.टीवी स्पॉट प्रसारण–** न्यूनतम 10 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट के बाद में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। **सांउड के साथ साईज–56 –65 इंच तक**	1माह से कम अवधि हेतु प्रति 10 सेंकड का दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
		1–3 माह हेतु प्रति 10 सेंकड का दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
		3 माह से अधिक हेतु प्रति 10 सेंकड का दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
4	**डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड –डिजिटल टीवी/एल.ई.डी .टीवी/स्मार्ट एल.ई .डी.टीवी – स्पॉट प्रसारण–** न्यूनतम 10 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट के बाद में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। **सांउड के साथ साईज–66 इंच से अधिक**	1माह से कम अवधि हेतु प्रति 10 सेंकड का दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
		1–3 माह हेतु प्रति 10 सेंकड का दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
		3 माह से अधिक हेतु प्रति	5–15 तक				

		10 सेंकड का दर	16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
5	**डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड –डिजिटल टीवी/एल.ई.डी .टीवी/स्मार्ट एल.ई .डी.टीवी – स्पॉट प्रसारण–** न्यूनतम 10 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट के बाद में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। **बिना सांउड के साईज–32 –42 इंच तक**	1माह से कम अवधि हेतु प्रति 10 सेंकड का दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
		1–3 माह हेतु प्रति 10 सेंकड का दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
		3 माह से अधिक हेतु प्रति 10 सेंकड का दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
6	**डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड –डिजिटल टीवी/एल.ई.डी .टीवी/स्मार्ट एल.ई .डी.टीवी– स्पॉट प्रसारण–** न्यूनतम 10 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट के बाद में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120	1माह से कम अवधि हेतु प्रति 10 सेंकड का दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
		1–3 माह हेतु प्रति 10 सेंकड का दर	5–15 तक				
			16–30 तक				

	स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। **बिना सांउड के साईज–43–55 इंच तक**		31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
		3 माह से अधिक हेतु प्रति 10 सेंकड का दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
7	**डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड –डिजिटल टीवी/एल.ई.डी.टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी.टीवी– स्पॉट प्रसारण–** न्यूनतम 10 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट के बाद में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। **बिना सांउड के साईज–56–65 इंच तक**	1माह से कम अवधि हेतु प्रति 10 सेंकड का दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
		1–3 माह हेतु प्रति 10 सेंकड का दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
		3 माह से अधिक हेतु प्रति 10 सेंकड का दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
8	**डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड –डिजिटल टीवी/एल.ई.डी.टीवी/स्मार्ट एल.ई.डी.टीवी– स्पॉट प्रसारण–** न्यूनतम 10 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट के बाद में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120	1माह से कम अवधि हेतु प्रति 10 सेंकड का दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				
		1–3 माह हेतु प्रति 10 सेंकड का दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से				

	स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। **बिना सांउड के साईज–66 इंच से अधिक**		अधिक				
		3 माह से अधिक हेतु प्रति 10 सेंकड का दर	5–15 तक				
			16–30 तक				
			31–45 तक				
			46–60 तक				
			61 से अधिक				

<u>उपरोक्त दरों के अलावा जीएसटी के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का चार्ज नहीं किया जाएगा।</u>

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
नाम/पता संपर्क नंबर एवं
सील–मुद्रा सहित